

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर  
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)  
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

File No.:- F.59. STP/ DLB/Building-B.Laws/ (41) /16/ 249

Date : 28.04.16

आदेश

मॉडल राजस्थान भवन विनियम-2013, मॉडल स्थानीय निकाय (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम, 2010, जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) उपनियम, 2010, जोधपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम, 2013 एवं ग्रेटर भिवांडी भवन विनियम, 2013 में "अधिवास प्रमाण पत्र" शब्द का उल्लेख किया गया है, इससे प्रति भ्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि निकायों द्वारा कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किये जाने की प्रक्रिया ही अपनायी जाती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है, कि सभी भवन विनियमों में "अधिवास प्रमाण पत्र" शब्द को "कम्प्लीशन सर्टिफिकेट" पढ़ा जावे। निर्मित भवनों के लिए कम्प्लीशन सर्टिफिकेट हेतु भवन विनियमों के प्रावधानानुसार आवेदन प्राप्त होने पर केवल कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ही जारी किया जावे, ना कि अधिवास प्रमाण पत्र।

(संचिता बिश्नोई)

निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

File No.:- F.59. STP/ DLB/Building-B.Laws/ (41) /16/ 250-257 Date : 28.04.16

- प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  2. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
  3. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
  4. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
  5. आयुक्त, नगर परिषद, समस्त।
  6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त।
  7. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
  8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

Xh1510

(आर.के. विजयवर्गीय)

वरिष्ठ नगर नियोजक